State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

संजय कुमार (भा०प्र०से०)
कार्यपालक निदेशक
सह
सचिव, स्वास्थ्य

संचिका संख्या SHSB/PM/291/2011

आदेश संख्या..2611.5.......दिनांक..12.05.11.....

कार्यालय आदेश

राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के कार्यालय पत्रांक 9848 दिनांक 28.4.2009 के द्वारा राज्य के अस्पतालों में मरीजों के उपयोगार्थ क्रय हेतु हेतु तीन प्रकार के शय्याओं (Fowler Deluxe Bed, Fowler Bed, Semi Fowler Bed) का दर अनुबंध मेसर्स साधना मिडिया प्राईवेट लिमिटेड, पटना से किया गया था। दर अनुबंध के शर्त के अनुसार शय्याओं की आपूर्ति जिलों से क्रयादेश निर्गत होने के 30 से 45 दिनों के अंदर किया जाना था। परन्तु जिलों से प्राप्त क्रयादेश के अनुसार दर अनुबंध में निहित समय-सीमा के अंदर किसी भी जिला में शय्याओं की आपूर्ति फर्म के द्वारा नहीं की गई है। जिलों से प्राप्त शिकायतों के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के कार्यालय पत्रांक 12698 दिनांक 30.10.09, पत्रांक 12856 दिनांक 6.11.09, पत्रांक 13239 दिनांक 27.11.09, पत्रांक 13860 दिनांक 5.1.2010, पत्रांक 13905 दिनांक 7.1.2010, पत्रांक 14032 दिनांक 11.1.2010, पत्रांक 14094 दिनांक 15.1.10, पत्रांक 14545 दिनांक 11.2.10, पत्रांक 14551 दिनांक 11.2.2010, पत्रांक 15214 दिनांक 16.3.2010, पत्रांक 15560 दिनांक 6.4.2010 एवं पत्रांक 15800 दिनांक 19.4.2010 के द्वारा मेसर्स साधना मिडिया प्राईवेट लिमिटेड, पटना से कारण पृच्छा की गई थी। उक्त सभी कारण पृच्छा के आलोक में फर्म से प्राप्त स्पष्टीकरण की व्यापक समीक्षा की गई एवं सम्यक विचारोपरान्त आपका स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया। पुनः फर्म को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 15974 दिनांक 28.4.2010 के द्वारा आदेशित किया गया कि दिनांक 31.3.2010 के पूर्व जिलों से प्राप्त क्रयादेश के विरूद्ध शय्याओं की आपूर्ति जिलों में दिनांक 31.7.2010 तक करना सुनिश्चित करें। परन्तु निर्धारित तिथि तक फर्म के द्वारा कई जिलों में शय्याओं की आपूर्ति दर अनुबंध में निहित समय-सीमा के अंदर नहीं किया गया। कई जिलों में आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक वर्ष से ज्यादा समय तक शय्याओं की आपूर्ति नहीं की गई है, जिसके कारण आम जनता इसके लाभ से वंचित हो रहे हैं। कार्यालय द्वारा दूरभाष पर आपूर्ति के अनुश्रवण के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि कई जिलों में जो बेड आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति किया गया है उसमें तकनीकी समिति एवं तृतीय पक्ष द्वारा गुणवत्ता जाँचने के क्रम में पाया गया कि कुछ बेड क्षतिग्रस्त है जिसे replace करने एवं आपूर्ति की गई सभी बेड का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। जिन जिलों में फर्म द्वारा शय्याओं का अधिष्ठापन किया गया है उन जिलों में अधिष्ठापनोपरान्त संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित अधिष्ठापन प्रतिवेदन सिविल सर्जन कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया है।

पुनः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 25021 दिनांक 31.3.2011 के द्वारा मेसर्स साधना मिडिया प्राईवेट लिमिटेड, पटना को अंतिम स्मार पत्र/कारण पृच्छा निर्गत करते हुये दिनांक 13.4.2011 तक अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। निर्धारित तिथि दिनांक 13.4.2011 तक फर्म को कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। निर्धारित तिथि व्यतीत होने के उपरांत दिनांक 18.4.2011 को फर्म का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ जिसमें फर्म द्वारा उन्हीं पूर्व कारणों को आधार बनाया गया है जो सत्य से परे है। आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि :-

सरकार

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

(क) भोजपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, कटिहार एवं गोपालगंज जिलों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में कार्यालय द्वारा जिलों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि -

(i) भोजपुर जिला के क्रयादेश संख्या 710 दिनांक 29.9.2010 के आलोक में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा व्ययादेशित संख्या से कम शय्याओं की आपूर्ति की गई है।

(ii) दरभंगा जिला में तृतीय पक्ष के द्वारा गुणवत्ता जाँचोपरान्त कुछ शय्याओं को अवमानक स्तर का पाया गया है, जिसे आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अभी तक replace नहीं किया गया है। जिन शय्याओं को मानक स्तर का पाया गया है उन शय्याओं को अभी तक आपूर्तिकर्त्ता फर्म के द्वारा अधिष्ठापित नहीं किया गया है।

(iii) सीतामढ़ी जिला के संबंध में आपूर्तिकर्त्ता फर्म के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि शय्या आपूर्ति के पश्चात भुगतान नहीं किया गया है जबकि सीतामढ़ी जिला के द्वारा दिनांक 14.4.2011 को भुगतान किया जा चुका है।

(iv) गोपालगंज के द्वारा फर्म को 70 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है। जिला लेखा प्रबंधक, गोपालगंज से दूरभाष पर वार्ता के क्रम में बताया गया कि फर्म द्वारा आपूर्ति की गई कुछ बेड क्षतिग्रस्त भी है तथा फर्म द्वारा सभी बेड को Install नहीं किया गया है और ना ही Installation report हीं चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करा कर जिला कार्यालय में जमा किया गया है। जिसके कारण शेष भुगतान लंबित है।

(v) कटिहार एवं समस्तीपुर जिला में आपूर्तिकर्त्ता के भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समस्तीपर जिला के द्वारा सूचित किया गया कि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बेड का Installation काफी विलंब से करने के उपरांत बेड को हस्तगत कराया है जिसके पश्चात भुगतान की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

(ख) आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा मुंगेर एवं सारण जिला में शय्याओं की आपूर्ति नहीं करने के कारण के रूप में कहा जा रहा है कि उक्त दोनों जिलों में राशि एवं शय्याओं के भंडारण हेतु जगह की कमी है। उक्त के संबंध में दोनों जिलों से कार्यालय द्वारा जानकारी प्राप्त करने के क्रम में ज्ञात हुआ कि -

(i) मुंगेर में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अभी तक बेड का आपूर्ति नहीं किया गया है। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा बताया गया कि अनेको बार मेसर्स साधना मिडिया को बेड की आपूर्ति हेतु स्मारित किया गया है तथा स्वयं जिलाधिकारी, मुगेर द्वारा भी फर्म से दूरभाष पर बेड की आपूर्ति करने हेतु कहा गया परन्तु फर्म द्वारा बेड का आपूर्ति नहीं किया गया।

(ii) सारण जिला के संबंध में फर्म द्वारा यह कहना कि जिला में भंडारण हेतु जगह की कमी है सत्य से परे है। सिविल सर्जन कार्यालय से दूरभाष पर वार्ता के क्रम में बाताया गया कि कई बार फर्म को लिखित एवं मौखिक रूप से बेड की आपूर्ति हेतु स्मारित किया गया है। सिविल सर्जन, छपरा के कार्यालय पत्रांक 433 दिनांक 12.11.2009 के द्वारा फर्म को स्मारित किया गया है। स्मारित करने के बावजूद बेड की आपूर्ति नहीं करने पर जिलाधिकारी, सारण के आदेशानुसार फर्म का क्रयादेश रद्द कर दिया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं फर्म से वर्तमान में प्राप्त पत्र तथा पूर्व के पत्रों की व्यापक समीक्षोपरान्त एवं सम्यक विचारोपरान्त फर्म का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया है। अतः अब फर्म को अलग से किसी भी प्रकार की सूचना देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि राज्य के अस्पतालों को दर अनुबंध में निहित समय-सीमा के अंदर शय्याओं की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण राज्य की जनता को गत एक वर्ष से ज्यादा समय से उक्त सुविधा से

सरकार

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,

Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

वंचित रखने एवं ससमय जिलों में राशि खर्च नहीं होने की स्थिति में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालनार्थ भारत सरकार से अगले वित्तीय वर्ष के लिए मिलने वाली राशि में कटौती के लिए मेसर्स साधना मिडिया प्राईवेट लिमिटेड उत्तरदायी है।

फलतः सरकार की लोकोपयोगी एवं महत्वाकाँक्षी योजना बाधित करने तथा मरीजों को शयूया जैसी महत्वपूर्ण उपस्कर से एक वर्ष से अधिक अवधि तक वंचित रखने के आरोप में मेसर्स साधना मिडिया प्राईवेट लिमिटेड के साथ राज्य के अस्पतालों में शयूयाओं (बेड) की आपूर्ति हेतु किया गया दर अनुबंध दिनांक 11.5.2011 के प्रभाव से समाप्त किया जाता है तथा फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुये तत्कालिक प्रभाव से अगले पाँच वर्षो तक उन्हें बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला स्वास्थ्य समिति/चिकित्सा महाविधालय अस्पतालों/संस्थानों द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगाई जाती है।

मेसर्स साधना मिडिया प्राईवेट लिमिटेड को दिनांक 11.5.2011 के प्रभाव से किसी भी जिला के द्वारा शयूयाओं की आपूर्ति हेतु क्रयादेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आशय की सूचना सभी संबंधित को अविलंब दिया जाये एवं सर्वसाधारण के सूचना हेतु इसे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट पर भी उपलब्ध करा दिया जाये।

कार्यपालक निदेशक
सह
सचिव, स्वास्थ्य

ज्ञापांक 26115 पटना, दिनांक 12.05.11

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी/सभी वरीय उपसमाहर्ता/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मेसर्स साधना मिडिया प्राईवेट लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

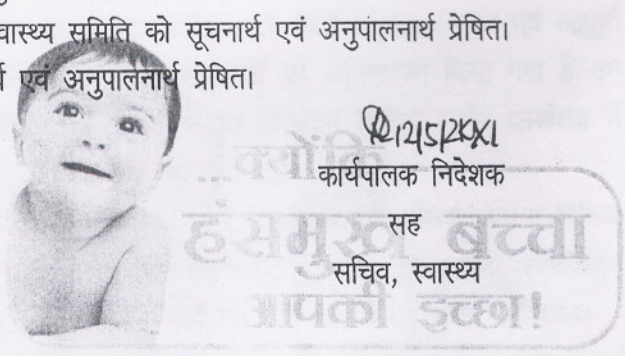

कार्यपालक निदेशक
सह
सचिव, स्वास्थ्य